IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, February 2026
Impact Factor: 8.2

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक विकास में आरक्षण की भूमिका

अनुराधा त्रिपाठी
शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
डॉ. रचना श्रीवास्तव
प्राध्यापक समाजशास्त्र, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :–

सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए जारी आरक्षण नीति से सम्बन्धित संवर्ग को मिलने वाली विकास योजनाओं की नीतियों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए अनारक्षित संवर्ग के ऐसे लोगों के लिए जिनकी आर्थिक आय कम है को लाभान्वित करने के लिए शासन स्तर पर नई आरक्षण नीति जारी की गई जिसके तहत ऐसे लोग जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप कार्ययोजना से लाभान्वित करते हुए विकास के मार्ग में शामिल होने के लिए संविधान में 103वों संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आरक्षण का आधार आर्थिक बनाया गया जिसके सकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं ऐसे अभ्यार्थी जो अनारक्षित श्रेणी से आते हैं आर्थिक विसंगति के चलते विकास की मूल धारा से पिछड़ जाते थे उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए यह प्रयोगवादी पहल परिणाम मूलक है। प्रस्तुत शोध पत्र मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में समाज में ऐसे वर्ग को जिनकी आय 8 लाख से कम आंकी गयी उन्हें 10 प्रतिशत का आरक्षण अनारक्षित श्रेणी से दिया गया। इस तरह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एक नयी व्यवस्था के तहत आर्थिक कतिनाईयों से बचाने के लिये सार्थक पहल शुरू हुयी। इस पत्र में इन्हीं मूल बिन्दुओं को शामिल किया गया है।

मुख्य शब्द :– आर्थिक, कमजोर, वर्गों, सामाजिक, विकास, आरक्षण, भूमिका आदि।

प्रस्तावना :–

समतामूलक समाज की संरचना सदा से ही आदर्शोमुखी और सुखानुभूति कराने वाली रही है। पर मानव समाज में आपसी अन्तर्द्वन्द्व और प्राकृतिक क्षमता ने व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में अन्तर सदा से ही चिन्हित करती रही है। समय सापेक्ष यह अन्तर इतना अधिक प्रखर हुआ कि समाज में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में विभिन्न प्रकार के विभाजक आयाम बनते गये जो समय के साथ रूढ़ि हो गये और पीढ़ी–दर–पीढ़ी विकसित और प्रभावी होते गये जिससे वर्ण, जाति, अगड़े–पिछड़े, अभिजात्य और निम्न जैसे मानक बने। इस समाज के कुछ लोगों का जीवन अमानवी होता गया। उनके पास संसाधनों की कमी होने लगी और मानव जैसा भाग्यशाली प्राणी होने के बावजूद पशुवत जीने के लिए विवश होने लगा। मानव के बीच में यह दूरी घटे और

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, February 2026 Impact Factor: 8.2

सब एक रूप एक लय, को जीवन जिये इसके लिए समय सापेक्ष तरह–तरह की विचार प्रधान योजनाएं समय सापेक्ष बनती रही जिससे परिमार्जित कर 20वीं सदी में आरक्षण का नाम दिया गया।

इतिहास के पृष्ठभूमि पर निगाह डालें तो यह ज्ञात होता है कि समाज में व्याप्त परम्पराएँ एवं प्रथाएँ इस तरीके से प्रभावशील थी कि निचले दर्जे के काम करने वाले समाज के कथित लोगों के साथ भेदपूर्ण आचरण करते थे। जिस कारण समाज में दोमुखी व्यवस्था देखने को मिलने लगी। इस व्यवस्था ने समाज में जातीय और वर्गीय विभाजक रेखाएँ प्रारंभ कर दी। जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आजादी पश्चात् जातीय आरक्षण की नवीन नीति संचालित हुई। प्रारंभ दौर में यह योजना उस समय के लिए थी पर जैसे–जैसे समय आगे बढ़ा ये नीतियाँ और अधिक सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ने लगी। आरक्षण पद्धति में समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया जिसका लाभ अनारक्षित अर्थात् सामान्य श्रेणी के लोगों के अलावा सभी वर्ग समुदाय को प्राप्त होने लगा।

विगत कुछ वर्षों पूर्व यह बात उठी थी कि तथाकथित अनारक्षित वर्ग में आने वाले ऐसे लोग जिनकी आय कम है उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस मसौदे पर शासन स्तर पर चिंतन करते हुए एक ऐसी नीति प्रभावी की गई जिसके माध्यम से आरक्षण के लिए जाति की जगह आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया। इस व्यवस्था में समाज में ऐसे वर्ग को जिनकी आय 8 लाख से कम आंकी गयी उन्हें 10 प्रतिशत का आरक्षण अनारक्षित श्रेणी से दिया गया। इस तरह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एक नयी व्यवस्था के तहत आर्थिक कठिनाईयों से बचाने के लिये सार्थक पहल शुरू हुयी। हालाँकि आरक्षण के इस प्रावधान का अन्य समुदाय के लोगों में अपने स्तर पर विरोध करते हुए कहा कि जातीय आरक्षण को पसंद न करने वाले लोगों में सुनियोजित तरीके से लोगों को भ्रम में रखते हुए आरक्षण को संविधान की ओर मूल अवधारणा से अलग करने हेतु की गयी शरारतपूर्ण पहल है।

आजादी पश्चात् आरक्षण को लेकर जो अनुमान चिंतकों के कल्पनाओं से बना था समय के साथ इस तरह से परिमार्जित हुआ कि जिसे आरक्षण का लाभ मिला वही पीढ़ी–दर–पीढ़ी आरक्षण का वाहक बन गया। संबंध समाज के अन्य लोग जो सक्रिय और प्रचुर नहीं थे, संबंधित श्रेणी में आने के बाद भी आरक्षण का आपेक्षित लाभ लेने से पिछड़ते गये। इस समस्या के पीछे मुख्य कारण आरक्षण का लाभ लेने में बढ़ता वर्चस्ववाद ऐसे परिवार जिनके बीच के लोग प्रतिष्ठित और सार्वजनिक पदों पर हैं वे अपने से जुड़े अभ्यार्थियों को आपेक्षित राय और मार्गदर्शन देते हुए चयन प्रक्रिया में उन्हें आगे कर लाभ लेने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह प्रक्रिया मूलतः जातीय होने के कारण उसी सम्बद्ध जाति में आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को लाभ से वंचित कर देती है। इस समस्या को गौर करते हुए पिछड़ा वर्ग आरक्षण में क्रीमिलियर की गाइडलाइन आयी परन्तु क्रीमिलियर के फार्मूले को अपने तरीके से समायोजित करते हुए क्रीमिलियर को औचित्यहीन बना दिया।

आरक्षण में क्रीमिलियर का आधार आर्थिक विसंगति रही है, पर कुछ आय वाले सक्षम परिवार क्रीमिलियर के मानकों को अपने तरीके से समायोजित करते हुए जातीय आरक्षण को भी गतिशील बनाये रखे हुए हैं। आरक्षण से पात्र लोगों को वंचित होने का जो जटिल प्रश्न है उसका निराकरण नये तरीके से कमजोर वर्ग के रूप में खोजा गया है। कार्यक्रम के लागू होने पश्चात् प्रथम दृष्ट्या इस योजना में लोगों ने अपने आवेदन लगभग निर्धारित मानक के रूप ही प्रस्तुत किये। कुछ ऐसे अभ्यार्थी भी दिखते हैं जो कमजोर वर्ग की श्रेणी में नहीं आते फिर भी तकनीकी व्यवस्था को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि मानक अनुरूप उनके प्रमाण पत्र बन जाते हैं और उसके लाभ के लिये पात्र हो जाते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, February 2026
Impact Factor: 8.2

इस तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये पूर्व में संचालित सामाजिक न्याय की योजना समय–सापेक्ष आर्थिक न्याय की ओर अग्रसर हो रही है। निश्चय ही यह योजना परिमार्जित होगी जनहिताय होगी। ऐसा भी संभव है कि आने वाले समय में आरक्षण के लिये चिन्हित अन्य समुदाय में भी आरक्षण की यह नयी व्यवस्था लागू होने लगी जिससे आर्थिक रू॰ से कमजोर हितग्राहियों को आगे आने का अवसर प्राप्त होने लगेगा। अध्ययन का प्रतिपाद्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान में आरक्षण का समाजशास्त्रीय अध्ययन है जिसका प्रतिपाद्य कमजोर वर्ग को समय के साथ विकास की मूल धारा में जोड़ने के अवसर मुहैया कराना है।

भारत सरकार भी सामान्य जाति के लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)के लिए एक विकास नीति या योजना अपनाती है, जिसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। भारत में यह श्रेणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)लोगों की एक उप–श्रेणी है जो 'सामान्य श्रेणी' (General Category) से संबंधित हैं, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, और जो अजा, अजजा तथा पिछड़ा वर्गजैसी किसी अन्य आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं हैं। इस नयी पहल से ऐसे लोगों को प्रदान करती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। भारत सरकार पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने और नौकरियाँ पाने के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है। यह सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, जो उन सामान्य लोगों को थोड़ी राहत देता है जिन्हें जाति–आधारित आरक्षण प्रणाली के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि सुदूर अंचलों के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसे जनवरी 2019 में लागू किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को कमजोर वर्ग के तहत जारी होने वाला यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार का यह कदम लोगों के बीच एक नवचेतना और समानता लाएगा, जो अपने पारिवारिक आय की विसंगति के चलते आपेक्षित अवसर से वंचित रह जाते थे। यह देश में वास्तविक प्रतिभा को सामने लाएगा। यह योजना या निर्णय गरीब लोगों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है।

निर्धारित मानदण्डों के आलोक में ''कमज़ोर वर्ग'' शब्द आबादी के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आबादी के अन्य हिस्सों की तुलना में पिछड़ा हुआ है और अपनी पिछड़ी स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से पीड़ित रहा है। कमज़ोर वर्गों में वे सभी वर्ग और समूह शामिल हैं जो आज अपनी पहचान, सुरक्षा और जीवन की बुनियादी सुविधाओं की तलाश में हैं। भारतीय समाज अपनी 'अनेकता में एकता' के लिए जाना जाता है। लेकिन एक बात के लिए यह अप्रासंगिक भी है – सामाजिक असमानता, जिसने समाज के कुछ वर्गों (जैसे – महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, अल्पसंख्यक आदि) के कमज़ोर पड़ने को जन्म दिया है। ये वे संवेदनशील समूह हैं जिन्हें उत्पीड़न की स्थिति के कारण जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इनके पास जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों की कमी है।

विशेष रूप से भारतीय गाँवों में, लोग पहले भी और आज भी एक कठोर पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था में संगठित हैं; और पदानुक्रम की यह अवधारणा, जो जाति व्यवस्था में अंतर्निहित है, 'पवित्रता और अपवित्रता' के धार्मिक सिद्धांत पर आधारित है। अंतर–जातीय विवाहों के मामलों में, दूल्हा और दुल्हन की 'ऑनर किलिंग' (इज्ज़त के नाम पर हत्याएँ) की घटनाएँ बढ़ी हैं। 'अल्पसंख्यक' व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी जाति, भाषा या धर्म, वहाँ रहने वाले बहुसंख्यक निवासियों से भिन्न होती

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, February 2026 Impact Factor: 8.2

है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद '25' से '28' में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान शामिल हैं। 'दिव्यांगता' किसी व्यक्ति की दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने की क्षमता में वह सीमा है, जिस हद तक उसे ऐसा करने में दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। यह किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण उत्पन्न होने वाली एक कार्यात्मक सीमा या गतिविधि पर लगा प्रतिबंध है। 'दिव्यांग' लोगों को समाज द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए, लोगों के दृष्टिकोण और परंपराओं में बदलाव आना आवश्यक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, समाज के कमज़ोर वर्गों की स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद '14', '15', '16' और '17' जैसे प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ कोई भेदभाव न हो। राज्य 'सुरक्षात्मक भेदभाव' के ज़रिए समाज के कमज़ोर वर्गों की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास कर सकता है। सुरक्षात्मक भेदभाव का अर्थ है, लोगों के कुछ खास वर्गों की सुरक्षा के उद्देश्य से उनके साथ भेदभाव करना। वर्तमान में, शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत तक सीटें समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं। चूंकि आरक्षण व्यवस्था निजी क्षेत्र में लागू नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में भी पूर्वाग्रह और पक्षपात देखने को मिल सकता है। सरकार कमज़ोर वर्गों को सभी क्षेत्रों में मज़बूत बनाने के लिए कानून बना सकती है और नीतियां लागू कर सकती है। लेकिन यह लोगों और समाज पर निर्भर करता है कि वे इन लोगों के साथ समान सम्मान और समाज के बाकी लोगों के बराबर का व्यवहार करें।

कमज़ोर वर्गों का अस्तित्व एक वैश्विक परिघटना है और कई विकसित देशों के समाजों में भी यह विशेषता पाई जाती है। भारतीय समाज इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां 21वीं सदी में भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत आता है। विडंबना यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, समाज के एक बड़े हिस्से को कमज़ोर और हाशिए पर पड़ा हुआ पाता है। भारतीय समाज के संदर्भ में, हाशिए पर पड़े और कमज़ोर वर्गों को केवल जाति के आधार पर ही परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि लिंग, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। इनमें महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, शरणार्थी, प्रवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, यौन अल्पसंख्यक और कई अन्य लोग शामिल हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सामने आने वाली सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक गरीबी है। इन समुदायों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करता हे। जमीन, संसाधनों और रोजगार के अवसरों तक पहुँच की कमी उनकी आर्थिक कमजोरी को और बढ़ा देती है जिससे सबसे अधिक प्रभावित शिक्षा होती है। प्रतिमा और आकांक्षा होने के बावजूद आर्थिक विपन्नता बाधा बन सामने आती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच एक बड़ी बाधा बनी हुई है। स्कूलों तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सामाजिक भेदभाव उनकी शैक्षिक प्रगति में रुकावट डालते हैं। इसके परिणामस्वरूप, गरीबी और वंचन का चक्र चलता रहता है।

रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य सेवा पर निगाह डाले तो स्पष्ट होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच होती है, जिसके कारण उनमें बीमारी और मृत्यु दर अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे की कमी और आदिवासी समुदायों में कुपोषण का व्यापक होना चिंता के प्रमुख विषय हैं। श्रम बाज़ार में होने वाला भेदभाव आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए उपलब्ध रोज़गार के अवसरों को सीमित कर देता है। उन्हें अक्सर कम

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, February 2026 Impact Factor: 8.2

वेतन वाली, शारीरिक मेहनत वाली नौकरियों तक ही सीमित कर दिया जाता है, जिनमें नौकरी की सुरक्षा भी बहुत कम होती है। इन समुदायों की महिलाओं को औपचारिक रोज़गार पाने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भूमिहीनता एक आम समस्या है। ज़मीन के मालिकाना हक या ज़मीन पर सुरक्षित अधिकार की कमी उनकी आर्थिक कमज़ोरी को बढ़ाती है और अक्सर विस्थापन का कारण बनती है। जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर होने वाला भेदभाव आर्थिक रूप से कमजोरलोगों के दैनिक जीवन को लगातार प्रभावित करता रहता है। यह भेदभाव कई रूपों में सामने आ सकता है, जिनमें सामाजिक अलगाव, हिंसा और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच पर प्रतिबंध शामिल हैं।

103वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 प्राथमिक आधार पर मूल सामग्री की समस्याओं से मुक्ति के लिए नवीन आरक्षण जिसका आधार आर्थिक स्थिति है का प्रावधान किया गया जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गयी। इस हेतु 9 जनवरी, 2019 को संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया। यह अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को 10: आरक्षण का प्रावधान करता है (सार्वजनिक सेवाओं में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के विषय में)। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्ति आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे। संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। हालाँकि, सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।

संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सरकारी कार्यालय में राज्य के अधीन रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। सरकार 'नागरिकों के पिछड़े वर्ग'के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, अगर राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 को लागू किया, जिसके द्वारा 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'की उन्नति के लिए अनुच्छेद 15 में तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया।

मुख्य विशेषताएं

संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) सम्मिलित किए गए हैं, जो राज्य को नागरिक पदों एवं सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है। शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'के लिए 10: आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार पारिवारिक आय और अन्य आर्थिक संकेतकों के आधार पर नागरिकों के 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'को सूचित करेगी।

जिस परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में माना गया है। आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, ईडब्ल्यूएस नहीं माना जायेगा, भले ही परिवार की आय आठ लाख रुपये से कम हो:–

- 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि।
- 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- नगरपालिकाओं में 100वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- अन्य क्षेत्रों में आवासीय, 200 वर्ग गज और उससे अधिक का भूखंड।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, February 2026 Impact Factor: 8.2

इस प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया, जिसने आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के बीच सामाजिक एकीकरण को संभव बनाया है। ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। इसे वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने हेतु संविधान में 103वां सशोधन बिल पास किया गया था। भारतीय विधि के अनुसार कुल 50 प्रतिशत आरक्षण ही प्रदान किया जा सकता है।

कुल 50 फीसदी आरक्षण में से 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्गों 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। इस प्रकार कुल 49.50 प्रतिशत आरक्षण बनता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण हेतु 10 फीसदी आरक्षण प्रदान किया गया है। ईडब्ल्यूएस बाकी बचे 50.5 प्रतिशत आरक्षण में ही दिया गया है। इसलिए यह आरक्षण सामान्य वर्ग हेतु छोड़े गये 50 प्रतिशत सीटों पर ही लागू होता है। जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन्हीं को प्रदान किया जायेगा जिनकी सालाना आय 08 लाख या उससे कम होगा। 08 लाख तक की आय सीमा में सभी स्रोतों से आय शामिल होगा। जैसे कृषॉ सैलरीॉ व्यवसाय आदि हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उन्हें उम्मीदवारों को प्रदान कि जायेगाॉ जिनके पास 200 वर्ग गज के अन्दर आवासीय जमीन होगी। उम्मीदवार के पास 05 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास आय प्रमाण होना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर पर तहसीलदार से जारी होना चाहिए।

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय आईडी प्रूफ राशन कार्डॉ निवास प्रमाण पत्रॉ एड्रेस प्रूफ आदि में से दो दस्तावेजों की जरूरत हो होगी।आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को मिलेग लाभ 10 प्रतिशत आरक्षण ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इससे सामान्य वर्ग के उन उम्मीदवारों को लाभ प्राप्त होगाॉ जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हैं। इस प्रमाण पत्र से उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का मौका आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को समानता का अवसर प्राप्त होगा।

मोदी सरकार द्वार जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा का निधारित किया था। यह नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रदान करता है। कमजोर वर्ग के लिए कोटा के तहत राज्य एवं केन्द्र सरकार की नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया जा सकता है। इस कोटे का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिणक संस्थानों में नहीं प्राप्त होगा।

ईडब्ल्यूएस का लाभ वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। वहीं इसका लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा। कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ लेने हेतु परिवार की वार्षिक आय की महत्वपूर्ण भूमिका है। कमजोर वर्ग के लिए कोटा का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय 08 लाख से कम होना जरूरी है। सालाना आय में कृषॉ वेतनॉ व्यवसाय एवं सभी प्रकार के व्यापार से अर्जित आय शामिल किये जायेंगे।

कुछ वर्ष पहले तक सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को आरक्षण में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2019 में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए एक नये कानून का निर्माण किया है। जिसके माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के माध्यम से 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा। यह आरक्षण नौकरी सहित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का मौका प्रदान करेगा। ईडब्ल्यूएस ब्मतजपपिबंजम सामान्य वर्ग

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, February 2026 Impact Factor: 8.2

उन गरीब परिवारों के लिए बरदान हैँ जिनके पास पैसों की कमी है और वह नौकरी करना या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना चाहते हैं।

इससे संबन्धित अन्य आवश्यक सुझाव दिये गये हैं निम्नानुसार हैं–

1. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किया जायेगाॉ जो सामान्य वर्ग से संबन्धित हो और वह आर्थिक रूप से कमजोर भी हों।
2. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में छूट का लाभ मिलेगा।
3. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी में आरक्षित सीटों पर नियुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
4. परीक्षा में कम अंक प्राप्त होने पर भी 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षा/उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त किया जा सकेगा।
5. सामान्य वर्ग में निवास करने वाले उच्च वर्ग के लोगों को नौकरी प्राप्त करने एवं शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने में आसानी होगी।
6. सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा।

सामान्य वर्ग से संबन्धित गरीब परिवारों को 10 प्रतिशत आरक्षण ईडब्ल्यूएस प्रमाण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आरक्षण का मकसद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में अमूलचूल सुधार लाना है। वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण के माध्यम से रोजगार एवं शिक्षा में लाभ प्रदान करना है। सामान्य वर्ग में आने वाले सभी गरीब लोगों को इस नीति का लाभ प्राप्त होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की बैधता 01 वर्ष होगी। इसके बाद इसका नवीनीकरण ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए उम्मीवार का सामान्य वर्ग से होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबन्धित उम्मीदवार इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पायेंगे। ऐसे अभयार्थी पूर्व से ही आरक्षण से लाभान्वित होने की योजनाओं से संबद्ध रहे हैं।

निष्कर्ष:

इस प्रकार से कहा जा सकता है कि आरक्षण की अवधारणा न तो कोई नई बात है और न ही ऐसी कोई चीज़ जो केवल स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुई हो। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह दर्शाता है कि इसे औपनिवेशिक काल के दौरान भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया था, और इसके परिणामों का सामना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी करना पड़ा था। आरक्षण का प्रथम स्वरूप सामाजिक विकास का जिस पर मूलतः जातीय भेद–भाव के चलते आगे आने के अवसरों का अभाव तथा समाज में दुरग्रह नीति के आर्थिक विकास में बाधा आने के कारण इस समस्या को दूर करने के लिए जातीय एवं वर्गीय आरक्षण की व्यवस्था दी गई। समय के साथ परिवर्द्धन हुआ और पिछड़ा वर्ग को वर्गीय समुदाय के रूप में तथा बाद में महिलाओं को उनके साथ होने वाले भेदपरक आचरण के कारण आरक्षण की श्रेणी में रखा गया। वैश्विक क्रांति के चलते पिछड़ेपन का प्रमुख कारण आर्थिक दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नई आर्थिक आरक्षण नीति प्रारंभ की है योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा तथा रोजगार क्षेत्र में आने के अवसर प्राप्त होंगे। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समानता को बढ़ावा देना और सामाजिक एवं ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है। यह आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिये शिक्षा और रोज़गार में प्राथमिकता प्रदान करता है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, February 2026
Impact Factor: 8.2

संदर्भ स्रोत :–

1. राजगोपाल कृष्णदास (7 नवम्बर 2022) रिजर्वेशन प्वालिसी कैननॉट स्अे फॉर एन इन्डेफिनिट पीरियड सेज सुप्रीम कोर्ट– द हिन्दू।
2. मनराज गुरजर (2021) आरक्षण राजनीति जाति और धर्म, विश्वविद्यालय प्राकशन दिल्ली।
3. कृष्ण बल्लभ नारायण (2023) बिहार आरक्षण संशोधन प्रावधान, अमर उजाला पटना।
4. "SC refuses to stay decision to grant reservation to EWS category". India Today. 1 July 2019. Retrieved 3 July 2020.
5. Lakshman, Abhinay (26 September 2022). "OBCs not in Central list can apply under EWS for Central government posts: DoPT". The Hindu. Retrieved 7 September 2024.
6. Reservation for Economically Weaker Section (EWSs) in direct recuitment in civil posts and services in the goverment of India." (PDF) dopt.gov.in 31 January 2019.
7. Kiran Singh Chouhan, "Reservation Debate : To question the Constitutionality of Reservation to "Economically Weaker Setion," MS Ramaiah Journal of Law 5, No. 1 (2022).
8. Reddy, r. Ravikanth (21 January 2021) "EWS - Govt takes a decision after much dilly-dallying-The Hindu". The Hindu.
9. Ahmed, Waseem, and Anas Jameel. "constitutional Rights, various Laws and Schemes for woen Empowerment In India.. " Interanation Journal of Society and Humanities 12, no. 12019.